भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 620
मंगलवार, दिनांक 07 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>कुसुम योजनाः घटक-अ के अंतर्गत ऊर्जा की खरीद</u>

620. श्री नीरज डांगी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को बिना संपार्श्विक जमानत लिए ऋण उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किए जाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) के घटक-अ के अंतर्गत वितरण संबंधी निगमों को किसानों से अधिक बिजली की खरीद पर दिए जाने वाले निष्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कितनी राशि बढाई जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार कुसुम योजना के घटक-अ को कृषि अवसंरचना निधि में शामिल करने का विचार रखती है; यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किए जाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) सरकार, अक्षय ऊर्जा उत्पादक कंपनियों को आसान वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सौर आधारित विद्युत जनरेटरों, बायोमास आधारित विद्युत जनरेटरों, पवन चक्कियों, लघु पन बिजली संयंत्रों और अक्षय ऊर्जा आधारित पब्लिक यूटिलिटी अर्थात् स्ट्रीट लाइटिंग प्रणालियों और सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण आदि जैसे उद्देश्यों के लिए उधार लेने वालों को 30 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए ऋण श्रेणी में रखा है। दिशानिर्देशों के तहत, व्यक्तिगत परिवारों के लिए प्रति उधार प्राप्तकर्ता 10 लाख रु. की ऋण सीमा शामिल की गई है। तथापि, कोलेट्रल सिक्युरिटी की आवश्यकता सहित ऋण की वास्तविक निबंधन एवं शर्तें इस क्षेत्र के प्रति बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रदर्शन, उधार लेने वालों की साख, जोखिम अवधारणा आदि जैसे कारकों के आधार पर विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में अलग-अलग होती हैं।

(ख) इस समय, पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के तहत प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को योजना को कार्यान्वित करने वाले डिस्कॉमों से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) एमएनआरई द्वारा कृषि अवसंरचना निधि के तहत, पीएम-कुसुम योजना के घटक-क को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

*****